"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 मार्च 2010—फाल्गुन 13, शक 1931

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-18/2010/वा. कर (आब.)/पांच (21).—छत्तीसगढ़ नये सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम, 1982 के नियम 8 के खण्ड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 3 में शब्द, समूह "उन्हीं स्थानों पर लागू की जाएगी, जहां तथा जिनकी 10 किलोमीटर की परिधि में कोई छविगृह नहीं है तथा ये नियम" का लोप किया जाये.

2. उक्त संशोधन शासकीय राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2010

क्रमांक एफ 10-18/2010/वा. कर (आब.)/पांच (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-18/2010/वा. कर (आब.)/पांच (21), दिनांक 04 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 4th March 2010

NOTIFICATION

No. F 10-18/2010/CT.(Ex.)/V (21).—In exercise of the powers conferred by clause (J) of Rule 8 of Chhattisgarh Naye Cinemagharon ya Multiplex Cinemagharon ke Nirman ko Protsahan Yojna ke Sahayata Anudan Niyam, 1982, the State Government hereby, makes the following further amendments in the said Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules :—

1. In Rule 3 the word, group "It shall apply in those places where no cinema house has been established within the radius of 10 kilometers and these rules" shall be deleted.

2. This amendment shall come into force from its publication in the Official Gazette (Extra-ordinary).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.